न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 20/2021
तारीख दायर 01.04.2021
पीठासीन अधिकारीः— गोपाललाल स्वर्णकार, आरएएस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री कारू टांक पुत्र श्री गेंदमल टांक, मैसर्स टांक किराणा स्टोर, बारावरदा तहसील प्रतापगढ़
2. श्री दीपक कुमार प्रितवानी पुत्र श्री दिलीप प्रितवानी, मैसर्स श्री लक्ष्मी स्टोर वाटर वर्क्स रोड़ प्रतापगढ़
3. श्री श्याम सुन्दर गोयल पुत्र श्री शंकरलाल गोयल, मैसर्स गोयल सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखना बालाजी स्टेशन रोड़ के सामने, नीमच मध्यप्रदेश

अप्रार्थीगण

:—आदेश—:

दिनांक 28/01/2022

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (ईशान गोल्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:44:15 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.10.2020 को दोपहर 3.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स टांक किराणा स्टोर, बारावरदा तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां पर रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (ईशान गोल्ड ब्राण्ड) की 500–500 एम एल वाली 10 बोतले पैक अवस्था में रखी थी। उस समय मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना नाम कारू टांक पुत्र गेंदमल टांक होना बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया जो विक्रेता के पास मौजूद था। पैक अवस्था में रखी रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ईशान गोल्ड ब्राण्ड) की बोतलों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को संदेह होने पर उनके द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बताया गया कि उक्त वस्तु का एफएसएसए के तहत नमूना लिया जा रहा है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 500–500 एम एल की रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ईशान गोल्ड) की 4 पैक बोतले वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 200 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतिया एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर सुनकर समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा रिफाईण्ड सोयबीन तेल (ईशान गोल्ड ब्राण्ड) को विक्रेता एवं गवाहान के सामने पैक अवस्था में ही थी, जिस पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड क्रमांक , दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप नं. वाई 1148 नियमानुसार चारो नमूना डिब्बों पर पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार पेपर स्लिप्प व रेपर पर होते हुए विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये साथ ही गवाह के भी हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:44:15 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छह प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़

प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को श्री माजीद अली च.श्रे.क. के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा उनको मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (ईशान गोल्ड ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया।

उक्त क्रम में मैसर्स टांक किराणा स्टोर, बारावरदा को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतु कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा अग्रिम खरीद बिल की दो प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त क्रम में मैसर्स श्री लक्ष्मी स्टोर वाटर वर्क्स रोड़ प्रतापगढ़ को अग्रिम खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु पत्र द्वारा सूचित किया गया जिस पर विक्रेता द्वारा अग्रिम खरीद बिल, खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। इसी क्रम में मैसस गोयल सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखना बालाजी स्टेशन रोड के सामने, नीमच, मध्यप्रदेश के मालिक को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया जिस पर विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी एवं आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थींगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया [illegible] र्थी अभियुक्तों को कई बार अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। [illegible] प्रकरण में जवाब बन्द कर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:44:15 IST
Reason: SelfAttested

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांसवाडा/एक्ट/2020

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

दिनांक 04.11.2020 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (ईशान गोल्ड ब्राण्ड)का नमूना जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त **मिसब्राण्ड सोयाबीन तेल** विक्रय करने का दोषी पाया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । अतः उक्त खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में दोबारा पुनरावृति नही करने की चेतावनी के साथ उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी क्रमांक 3 श्री श्याम सुन्दर गोयल पुत्र श्री शंकरलाल गोयल, मैसर्स गोयल सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखना बालाजी स्टेशन रोड के सामने, नीमच मध्यप्रदेश पर राशि 50000/– रू अक्षरे पचास हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 28.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2022/13·15 दिनांक 28.01.2022

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्याम सुन्दर गोयल पुत्र श्री शंकरलाल गोयल, मैसर्स गोयल सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखना बालाजी स्टेशन रोड के सामने, नीमच मध्यप्रदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:44:15 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़